भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

सिविल मूल क्षेत्राधिकार

रिट याचिका (सी) 2019 की संख्या 55

जनहित अभियान

. . . याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ एवं अन्य।

…. .प्रतिवादी

आदेश

रिट याचिका (सी) संख्या 55/ 2019 आदि।

1. रिट याचिकाओं के इस बैच में, याचिकाकर्ताओं ने संविधान (एक सौ तीसरा संशोधन) अधिनियम , 2019 [संक्षेप में, 'संशोधन अधिनियम '] की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। उपरोक्त संशोधन द्वारा, अनुच्छेद 15 में खंड (6), खंड (5) के बाद खंड (6) डालकर और अनुच्छेद 16 में खंड (5) के बाद खंड (6) डालकर भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किया गया । नव सम्मिलित अनुच्छेद 15(6) और 16(6) इस प्रकार पढ़ें:

> "15(6). इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड (1) के उप-खंड (जी) या अनुच्छेद 29 के खंड (2) में कुछ भी राज्य को ऐसा करने से नहीं रोकेगा, -

(ए) खंड (4) और (5) में उल्लिखित वर्गों के अलावा नागरिकों के किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान; और

(बी) खंड (4) और (5) में उल्लिखित वर्गों के अलावा नागरिकों के किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान, जहां तक ऐसे विशेष प्रावधान निजी शैक्षणिक संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों में उनके प्रवेश से संबंधित हैं, चाहे अनुच्छेद 30 के खंड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अलावा, राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान , जो आरक्षण के मामले में मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त होंगे और अधिकतम दस प्रतिशत के अधीन होंगे। प्रत्येक श्रेणी में कुल सीटों का.

स्पष्टीकरण.- इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 16 के प्रयोजनों के लिए , "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग" ऐसे होंगे जिन्हें राज्य द्वारा समय-समय पर पारिवारिक आय के एवं आर्थिक नुकसान के अन्य संकेतक आदि आधार पर अधिसूचित किया जा सकता है।

16(6). इस अनुच्छेद में कुछ भी राज्य को मौजूदा आरक्षण के अलावा और अधिकतम सीमा के अधीन, खंड (4) में उल्लिखित वर्गों के अलावा नागरिकों के किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने से नहीं रोकेगा जो की प्रत्येक श्रेणी में पदों की संख्या
अधिकतम दस फीसदी के अधीन होगा

2. संविधान के अनुच्छेद 15(6) के आधार पर , राज्यों को खंड (4) और (5) में उल्लिखित वर्गों के अलावा नागरिकों के किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने और मौजूदा आरक्षणों के अलावा और अधिकतम सीमा के अधीन, अनुच्छेद 30 के खंड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अलावा, निजी शैक्षणिक संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों में उनके प्रवेश से संबंधित विशेष प्रावधान, चाहे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या गैर-सहायता प्राप्त हो तथा प्रत्येक श्रेणी में कुल सीटों का दस प्रतिशत के अधीन होगा। इसी प्रकार, अनुच्छेद 16(6) राज्य को मौजूदा आरक्षण के अलावा, खंड (4) में उल्लिखित वर्गों के अलावा नागरिकों के किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों

के आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने का अधिकार देता है जो की प्रत्येक श्रेणी में अधिकतम दस प्रतिशत पद के अधीन होंगे।

3. उपरोक्त कथित चुनौती दिए गए संवैधानिक संशोधनों पर मामलों के इस समूह में मुख्य रूप से इस आधार पर प्रश्नगत संशोधन अधिकारातीत हैं क्योंकि वे भारत के संविधान की मूल संरचना को बदल देते हैं। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं का यह भी मामला है कि लगाए गए संशोधन ***इंद्रा साहनी और अन्य,*** **बनाम** भारत संघ एवं अन्य, ***1992 सप्लिमेंट (3) एससीसी 217*** के मामले में बहुमत के फैसले के विपरीत चलते हैं। याचिकाकर्ताओं का मामला है कि पिछड़ा वर्ग केवल और विशेष रूप से आर्थिक मानदंड के संदर्भ में निर्धारित नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी दलील दी है कि आर्थिक मानदंड के आधार पर खुली प्रतिस्पर्धा में उपलब्ध रिक्तियों/पदों में से दस प्रतिशत आरक्षण से ऐसी दस प्रतिशत सीटों की सीमा रेखा से ऊपर के अन्य सभी वर्गों को बाहर कर दिया जाएगा। आगे दलील दी गई है कि गैर सहायता प्राप्त संस्थानों में आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन है । यह उनका मामला है कि राज्य उन निजी शिक्षण संस्थानों पर जोर नहीं दे सकता, जिन्हें राज्य से कोई सहायता नहीं मिलती है कि वे कम प्रतिशत अंकों पर, यानी योग्यता को छोड़कर किसी भी मानदंड पर प्रवेश देने के लिए आरक्षण पर राज्य की नीति को लागू करें।

4. जवाबी हलफनामा प्रतिवादी-भारत संघ की ओर से दायर किया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अवर सचिव द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में निम्नलिखित बातें कही गई हैं:

- याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए विभिन्न आरोपों से इनकार करते हुए, यह कहा गया है कि, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए संशोधन अधिनियम आवश्यक था, जो आरक्षण की मौजूदा योजनाओं में शामिल नहीं हैं, जो आंकड़ों के अनुसार, एक काफी बड़ा वर्ग है । भारतीय जनसंख्या आदि में समाज के सभी कमजोर वर्गों के साथ न्याय करने के आदेश में, यह जरूरी माना गया कि राज्य को विस्तार करने में सक्षम बनाने के लिए संविधान में उचित संशोधन किया जाए।

समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, जो आरक्षण की मौजूदा योजनाओं के दायरे में नहीं आते हैं, को शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण सहित विभिन्न लाभ दिए जाएंगे ताकि उन्हें शैक्षणिक संस्थानों और रोजगार में भी समान अवसर मिल सके।

- ***इंद्रा साहनी*** के मामले में इस न्यायालय के फैसले के बाद, सरकार ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के उन्नत वर्गों, यानी क्रीमी लेयर को बाहर करने के मानदंडों की सिफारिश करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की। उक्त समिति ने क्रीमी लेयर को बाहर करने के लिए कुछ सिफारिशें कीं और सरकार ने उसे स्वीकार करते हुए, अपवर्जन मानदंड पर दिनांक 08.09.1993 को कार्यालय ज्ञापन जारी किया। इसके बाद आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी) की पहचान के लिए मानदंड सुझाने के साथ-साथ कल्याणकारी उपायों और शिक्षा में आरक्षण की मात्रा की सिफारिश करने के लिए मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) एसआर सिन्हो की अध्यक्षता में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग का गठन किया गया था। उचित सीमा तक सरकारी रोजगार। दिनांक 02.07.2010 की अपनी रिपोर्ट में, आयोग ने सिफारिश की कि समय-समय पर अधिसूचित सामान्य श्रेणी के सभी बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवार और वे सभी परिवार जिनकी 2019 की वार्षिक डब्ल्यूपी (सी) संख्या 55 आदि सभी स्रोतों से आय करयोग्य सीमा से नीचे है तो उसे ईबीसी के रूप में पहचाना जाना चाहिए। सिंहो आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के मद्देनजर, यह आवश्यक समझा गया कि उन लोगों को उच्च शिक्षा और रोजगार में अवसर प्रदान करके सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए एक संवैधानिक संशोधन लाया जाए, जिन्हें उनकी आर्थिक स्थिति के कारण बाहर रखा गया है। संविधान के अनुच्छेद 46 के तहत निर्देश के अनुसार राज्य के कर्तव्य का उल्लेख करते हुए और समिति द्वारा की गई सिफारिशों के मद्देनजर, संविधान (एक सौ चौबीसवां संशोधन) विधेयक, 2019 पेश किया गया और इसे पारित किया गया। लोकसभा 08.01.2019 और 09.01.2019 को। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने और राज्य की सेवा में रोजगार में भागीदारी का उचित मौका सुनिश्चित करने के लिए, उक्त संशोधन लाए गए थे।

- याचिकाकर्ताओं के इस आरोप से इनकार करते हुए कि लागू किए गए संशोधन संविधान की मूल संरचना को बदल देते हैं, यह अनुरोध किया गया है कि, संवैधानिक संशोधन के खिलाफ चुनौती को बनाए रखने के लिए, यह दिखाया जाना चाहिए कि संविधान की पहचान ही बदल दी गई है।
- यह कहा गया है कि संविधान के एक अनुच्छेद में संशोधन मात्र से, भले ही इसमें एक बुनियादी विशेषता शामिल हो, जरूरी नहीं कि इसमें शामिल बुनियादी सुविधा का उल्लंघन हो। यह कहते हुए कि 2019 के उक्त नए सम्मिलित WP(C) No. 55 आदि प्रावधान, अर्थात् अनुच्छेद 15(6) और 16(6) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की उन्नति के लिए सक्षम प्रावधान हैं और ऐसे प्रावधान वास्तव में अनुरूप हैं आरक्षण और सकारात्मक कार्रवाई का सिद्धांत जो नागरिकों की समानता की सुरक्षा की कसौटी है और अनुच्छेद 15(1) के तहत आधार भी है; 15(2); 16(1) और 16(2).
- आगे यह दलील दी गई है कि आर्थिक मानदंड संविधान के तहत सकारात्मक कार्रवाई के लिए एक प्रासंगिक मानदंड हो सकता है। जवाबी हलफनामे में अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में इस न्यायालय के फैसले का संदर्भ दिया गया है । याचिकाकर्ताओं के इस आरोप का जवाब देते हुए कि आर्थिक पिछड़ापन पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए एकमात्र मानदंड नहीं हो सकता है, यह दलील दी गई है कि इंद्रा साहनी के मामले में इस न्यायालय द्वारा तय किया गया अनुपात विवादित संशोधनों की वैधता का आकलन करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है।
- यह कहा गया है कि इंद्रा साहनी के मामले में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए ज्ञापन चुनौती के अधीन थे और चूंकि वर्तमान चुनौती संवैधानिक संशोधन से संबंधित है, इसलिए तय किए गए अनुपात को लागू नहीं किया जा सकता है। जवाबी हलफनामे में यह भी दलील दी गई है कि आरक्षण की 50% की सीमा केवल अनुच्छेद 15(4), 15(5) और 16(4) के तहत किए गए आरक्षण पर लागू होती है और अनुच्छेद 15(6) पर लागू नहीं होती है ।
- याचिकाकर्ताओं के इस आरोप का जवाब देते हुए कि गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों में आरक्षण लागू करना स्पष्ट रूप से मनमाना और अवैध है, यह अनुरोध किया गया है कि लगाए गए संशोधन आदि अनुच्छेद 19 का उल्लंघन नहीं करते हैं। अनुच्छेद 19 (1)(जी) को संविधान के अनुच्छेद

19(6) के साथ पढ़ें क्योंकि राज्य अनुच्छेद 19(1)(जी) में अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाने वाला कोई भी कानून बनाने का हकदार है।

5. उपरोक्त दलीलों के साथ, यह अनुरोध किया जाता है कि याचिकाओं में कोई योग्यता नहीं है और वे इस न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने योग्य हैं।

6. हमने विद्वान वरिष्ठ वकील श्री राजीव धवन को सुना है; श्री एमएन राव, विद्वान वरिष्ठ वकील; श्री गोपाल शंकरनारायणन, विद्वान वरिष्ठ वकील; और सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, याचिकाकर्ताओं के लिए वरिष्ठ वकील और श्री केके वेणुगोपाल, भारत के विद्वान अटॉर्नी जनरल, भारत संघ की ओर से उपस्थित हुए।

7. श्री राजीव धवन, विद्वान वरिष्ठ वकील, 'न्यायालय के नियमों आदि' का उल्लेख करते हुए 2019 के WP(C) No. 122 में याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित हुए। संविधान के अनुच्छेद 145(3) के तहत , प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि मामले में संवैधानिक संशोधन की व्याख्या के रूप में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, इसलिए मामलों के वर्तमान बैच को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा सुना जाना चाहिए। विद्वान वरिष्ठ वकील ने भी सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 के आदेश XXXVIII पर भरोसा किया और प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि विवादित संशोधन अधिनियम समानता के अधिकार के विशेष संदर्भ में बुनियादी संरचना सिद्धांत का उल्लंघन करता है, जैसे, यह 2019 के आदि का गठन करता है, जैसा कि ऊपर बताए गए अर्थ के भीतर कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रस्तुत किया गया है कि जिन आधारों पर विवादित संशोधनों पर सवाल उठाया गया है, उन्हें ध्यान में रखते हुए, कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न, अर्थात्, क्या संविधान (एक सौ और तीसरा संशोधन) अधिनियम , 2019 संविधान की आधार संरचना का उल्लंघन करता है, जहां तक यह संबंधित है संविधान के समानता प्रावधानों और उससे संबंधित मामलों पर निर्णय लिया जाना है। यह प्रस्तुत किया गया है कि समानता प्रावधानों की 'चौड़ाई' और 'पहचान' के परीक्षणों को लागू करके, विवादित

संशोधनों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। विद्वान वरिष्ठ वकील ने एम. नागराज और अन्य के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा जताया है । अपने तर्क के समर्थन में कि संविधान के समानता प्रावधानों में संशोधन की जांच के लिए, ऐसे मामले की सुनवाई संविधान पीठ द्वारा की जानी है। विवादित संशोधन अधिनियम की वैधता पर , विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया है कि एम. नागराज 3 के मामले में इस न्यायालय द्वारा तैयार की गई 'चौड़ाई' और 'पहचान' के परीक्षणों को लागू करने से, जिसे आईआर कोएल्हो (मृत) के मामले में अनुमोदित किया गया है। एलआर द्वारा. बनाम तमिलनाडु राज्य 4 और जरनैल सिंह और अन्य। वी. लछमी नारायण गुप्ता और अन्य। 5, आक्षेपित संशोधन समानता प्रावधानों की 'चौड़ाई' और 'पहचान' को प्रभावित करते हैं, क्योंकि यह असंवैधानिक घोषित किए जाने योग्य है। यह प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त परीक्षणों को लागू करके, यदि विवादित संशोधनों की जांच की जाती है, तो लगाए गए अनुच्छेद संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करते हैं। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया है कि आक्षेपित संशोधन अधिनियम सकारात्मक आदि के लिए 50% कोटा के नियम का उल्लंघन करता है। इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कार्रवाई और आरक्षण इंद्रा साहनी का मामला. इसके अलावा, विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि मूल संरचना सिद्धांत के तहत मौलिक अधिकार की वैधता का परीक्षण करने के लिए दो गुना परीक्षण इस बात पर विचार करना है कि (ए) पहचान और (बी) मौलिक अधिकार की चौड़ाई प्रभावित होती है या नहीं। यह प्रस्तुत किया गया है कि यदि अधिकार की पहचान को विकृत किया जाता है या छीन लिया जाता है, तो ऐसी कार्रवाई बुनियादी ढांचे का उल्लंघन होगी।

8. श्री एमएन राव, 2019 के WP (C) No. 95 में याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील, संवैधानिक सलाहकार द्वारा तैयार किए गए संविधान के मसौदे में विभिन्न लेखों का हवाला देकर और संविधान सभा की बहसों का हवाला देकर और भरोसा रखकर इंद्रा साहनी के मामले में फैसले में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर, यह प्रस्तुत किया गया है कि पिछड़े वर्गों का शैक्षणिक पिछड़ापन उनके सामाजिक पिछड़ेपन के कारण है। यह प्रस्तुत

किया गया है कि सामाजिक पिछड़ापन उनके आर्थिक या शैक्षणिक पिछड़ेपन का कारण है न कि इसका परिणाम। यह प्रस्तुत किया गया है कि समानता खंड में एक अपवाद बनाकर अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत आरक्षण प्रदान करने का कारण केवल पिछड़े वर्गों के विवरण का उत्तर देने वाले व्यक्तियों तक लाभ सीमित करना है। आगे यह भी कहा गया है कि आर्थिक मानदंड अपने आप में पिछड़े वर्ग की पहचान नहीं करेगा। अंत में विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि यदि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को पिछड़े वर्गों के दायरे में लाया जाता है, तो यह अनुपात कानून, को नष्ट कर देगा। समानता खंड के अपवाद।

9. 2019 के WP(C)No.73 में याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गोपाल शंकरनारायणन ने प्रस्तुत किया कि आरक्षण नीतियों का मौलिक संतुलन कारक 50% की अधिकतम सीमा रही है। यह प्रस्तुत किया गया है कि इस न्यायालय द्वारा लगातार यह माना गया है कि यदि आरक्षण इतने प्रतिशत से अधिक हो गया तो संविधान की समानता संहिता का उल्लंघन होगा। विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि ***एमआर बालाजी और अन्य बनाम मैसूर राज्य*** के मामले में इस न्यायालय के फैसले में शुरू में 50% का अनुपात निर्धारित किया गया है अंततः ***इंद्रा साहनी*** के मामले में इस न्यायालय के फैसले में अनुमोदित किया गया है। इस न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णयों का हवाला देते हुए, विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि लागू संशोधन अधिनियम 50% की सीमा का उल्लंघन करता है और इस न्यायालय के निर्णयों के विपरीत चलता है जैसा कि ऊपर बताया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ताओं को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की शुरूआत से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन साथ ही संविधान की समानता संहिता का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और 50% की सीमा के उल्लंघन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि चूंकि मामलों के इस समूह में शामिल प्रश्न संविधान के अनुच्छेद 145(3) के अर्थ के तहत कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं , इसलिए इन मामलों की सुनवाई पांच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जानी चाहिए।

10. 2019 के WP(C) No.182 में याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा ने प्रस्तुत किया है कि विवादित संशोधन अधिनियम बुनियादी संरचना सिद्धांत का उल्लंघन करता है और 50% की सीमा को भी पार करता है जो इस न्यायालय के कई निर्णयों के विपरीत है।

11. दूसरी ओर, भारत के विद्वान अटॉर्नी जनरल - श्री केके वेणुगोपाल - ने संविधान की प्रस्तावना और भारत के संविधान के अनुच्छेद 46 का हवाला देते हुए प्रस्तुत किया कि आरक्षण का प्रावधान करके एक सकारात्मक कार्रवाई करके आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सकता है। समाज के कमजोर वर्ग. यह प्रस्तुत किया गया है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आधार पर सभी नागरिकों को न्याय सुरक्षित करने के लिए, जैसा कि प्रस्तावना में संदर्भित है, राज्य के लिए संवैधानिक संशोधन लाना हमेशा खुला है ताकि ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्रवेश के संबंध में बढ़ावा दिया जा सके। शैक्षणिक संस्थानों में और सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्तियाँ करने में भी। विद्वान अटॉर्नी जनरल ने प्रस्तुत किया है कि ***राजस्थान के गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के लिए सोसायटी बनाम भारत संघ और अन्य***, *(2012) 6 SCC 1* के मामले में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने बच्चों के अधिकार के प्रावधानों के तहत आर्थिक मानदंडों के आधार पर वर्गीकरण को मंजूरी दे दी है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 के लिए। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया है कि इसके मद्देनजर लागू संशोधन अधिनियम को या तो अवैध नहीं कहा जा सकता है या संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि जैसा कि इस न्यायालय ने इंद्रा साहनी1 के मामले में देखा था, जबकि 50% नियम होगा, लेकिन साथ ही ऐसी स्थिति में, जो की असाधारण स्थिति में ऐसी सीमा को पार किया जा सकता है। विद्वान अटॉर्नी जनरल ने उपरोक्त निर्णय में की गई कुछ टिप्पणियों को हमारे ध्यान में लाया है। विद्वान अटॉर्नी जनरल ने अपने तर्क के समर्थन में कि इस तरह के प्रतिशत को पार किया जा सकता है, ***वॉयस (उपभोक्ता देखभाल) परिषद बनाम तमिलनाडु राज्य, (1996) 11 SCC 740*** के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा

जताया । तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (शैक्षिक संस्थानों में सीटों और राज्य के तहत सेवाओं में नियुक्तियों या पदों का आरक्षण) अधिनियम बीसी, एससी और एसटी के लिए 69% आरक्षण प्रदान करते हुए, 1993 को लागू किया गया था। जब उक्त अधिनियम को उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया, तो मामला सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया गया और इस न्यायालय ने सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की शिकायत को दूर करने की दृष्टि से, सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए अतिरिक्त सीटें बनाने का अंतरिम आदेश पारित किया। तमिलनाडु राज्य ने दिनांक 22.07.1996 के आदेश में संशोधन के लिए अनुरोध करते हुए आवेदन दायर किया है। इस न्यायालय ने ऐसे आदेश को संशोधित करने से इनकार कर दिया और अंतरिम आवेदन खारिज कर दिया। साथ ही तमिलनाडु राज्य के लिए उन मामलों को सूचीबद्ध करने के लिए कदम उठाने का अधिकार खुला रखा गया है जिन्हें संविधान पीठ को भेजा गया है। इसके अलावा राजस्थान के अनएडेड प्राइवेट स्कूल सोसायटी के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए, विद्वान अटॉर्नी जनरल ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए सवालों को अब किसी बेंच को भेजे जाने के लिए कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं माना जा सकता है। पांच जजों की. यह प्रस्तुत किया गया है कि आदि के कारण याचिकाकर्ताओं की इस दलील का कोई आधार नहीं है कि विवादित संशोधन अधिनियम मूल संरचना सिद्धांत का उल्लंघन करता है। विद्वान अटॉर्नी जनरल द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि मूल संरचना में नींव में कई स्तंभों जैसी कई विशेषताएं शामिल हैं, जिनमें से कुछ ***परम पावन केशवानंद भारती श्रीपदगलवरु बनाम केरल राज्य और अन्य, (1973) 4 SCC 225*** के मामले में इस न्यायालय द्वारा दी गई राय में गिनाए गए हैं । 9. यह प्रस्तुत किया गया है कि इन स्तंभों का महत्व यह है कि यदि इनमें से एक को हटा दिया गया तो संविधान की पूरी इमारत गिर जाएगी। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि संवैधानिक संशोधन पर निर्णय लेते समय, इस प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या उक्त संशोधन से संविधान की इमारत ढह जाएगी। यह प्रस्तुत किया गया है कि संवैधानिक संशोधन के खिलाफ चुनौती को बनाए रखने के

लिए, यह दिखाया जाना चाहिए कि संविधान की पहचान ही बदल दी गई है। यह कहा गया है कि चूंकि ऐसा कोई आधार मौजूद नहीं है जिससे पता चले कि विवादित संशोधन के कारण संविधान की पहचान बदल दी गई है, याचिकाकर्ताओं की यह दलील कि विवादित संशोधन मूल संरचना सिद्धांत का उल्लंघन है, टिकने लायक नहीं है।

12. हमने याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील और भारत संघ के विद्वान अटॉर्नी जनरल को सुना है।

13. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील ने पहले तो संविधान के अनुच्छेद 145(3) और सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 के आदेश XXXVIII पर भरोसा करते हुए पांच न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ के संदर्भ की मांग करते हुए बहस की , जिसका विद्वान ने विरोध किया। जनरल भारत संघ की ओर से इस आधार पर उपस्थित हुए कि उनके द्वारा लिए गए निर्णयों के मद्देनजर किसी संदर्भ की आवश्यकता नहीं है।

14. यद्यपि हमने संदर्भ के मुद्दे पर, साथ ही मामले के गुण-दोष के आधार पर, याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ वकीलों और भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान अटॉर्नी जनरल को सुना है, क्योंकि हम विद्वान द्वारा की गई दलीलों से सहमत हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों ने कहा कि इन मामलों में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं, इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 145(3) और आदेश XXXVIII के तहत प्रावधान के मद्देनजर उन्हें पांच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुना जाना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013, हम विवादित संशोधन अधिनियम की वैधता पर मामले के गुण-दोष में प्रवेश नहीं कर रहे हैं ।

15. मामले को पांच न्यायाधीशों की पीठ को सौंपने के लिए, हम अनुच्छेद 145(3) के तहत प्रावधान के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 के आदेश XXXVIII नियम 1(1) का उल्लेख करना उचित समझते हैं। उक्त प्रासंगिक प्रावधान निम्नानुसार पढ़ें:

> “145. न्यायालय के नियम, आदि-(1) ... ...
>
> (2) ... ...

(3) इसकी व्याख्या के संबंध में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न से जुड़े किसी भी मामले का निर्णय करने के उद्देश्य से बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या संविधान या अनुच्छेद 143 के तहत किसी भी संदर्भ को सुनने के उद्देश्य से पाँच होंगे:

बशर्ते कि, जहां अनुच्छेद 132 के अलावा इस अध्याय के किसी भी प्रावधान के तहत अपील की सुनवाई करने वाले न्यायालय में पांच से कम न्यायाधीश हों और अपील की सुनवाई के दौरान न्यायालय संतुष्ट हो कि अपील में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है। इस संविधान की व्याख्या के संबंध में, जिसका निर्धारण अपील के निपटान के लिए आवश्यक है, ऐसा न्यायालय राय के लिए प्रश्न को इस खंड द्वारा आवश्यक के अनुसार गठित न्यायालय को संदर्भित करेगा। इस तरह के प्रश्न से जुड़े किसी भी मामले को तय करने का उद्देश्य और राय प्राप्त होने पर ऐसी राय के अनुरूप अपील का निपटान करना होगा।

इसी प्रकार, सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 के आदेश XXXVIII नियम 1(1) इस प्रकार है:

“1(1). संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत प्रत्येक याचिका लिखित रूप में होगी और कम से कम पांच न्यायाधीशों की एक डिवीजन कोर्ट द्वारा सुनी जाएगी, बशर्ते कि एक याचिका जो संविधान की व्याख्या के संबंध में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं उठाती हो, उसे सुना जा सकता है और पाँच से कम न्यायाधीशों की एक डिवीजन कोर्ट द्वारा और, छुट्टियों के दौरान, एक अवकाश न्यायाधीश द्वारा अकेले बैठकर निर्णय लिया जाता है।"

16. उपरोक्त प्रावधानों के मद्देनजर, यह स्पष्ट है कि संविधान की व्याख्या के संबंध में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न से जुड़े किसी भी मामले पर निर्णय लेने के उद्देश्य से इसकी सुनवाई पांच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जानी है। इस प्रकार यह जांच की जानी है कि क्या रिट याचिकाओं में उठाए गए प्रश्न में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल होगा या नहीं। याचिकाकर्ताओं का मामला है कि विवादित संशोधन मुख्य रूप से इस आधार पर संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करते हैं कि संविधान के मौजूदा प्रावधान केवल सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के पक्ष में सकारात्मक कार्रवाई प्रदान करने का अधिकार देते हैं। यह पहली बार है कि संविधान में लागू किए गए संशोधनों द्वारा नए खंड शामिल किए गए हैं जो राज्य को शैक्षणिक संस्थानों में 10% की सीमा तक आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सेवाओं में नियुक्ति के माध्यम से

सकारात्मक कार्रवाई प्रदान करने में सक्षम बनाते हैं। समाज। याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क का मुख्य मुद्दा यह है कि आर्थिक मानदंड अकेले पिछड़ेपन को निर्धारित करने का आधार नहीं हो सकते हैं।

इसके समर्थन में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील इंद्रा साहनी1 के मामले में इस न्यायालय के नौ-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर दृढ़ता से भरोसा करते हैं। इस प्रकार यह दलील दी जाती है कि आक्षेपित संशोधन उपरोक्त निर्णय के विपरीत हैं। याचिकाकर्ताओं का यह भी मामला है कि 50% की अधिकतम सीमा को पार करना भी इस न्यायालय के उसी फैसले का उल्लंघन है। हालांकि भारत संघ की ओर से पेश विद्वान अटॉर्नी जनरल ने राजस्थान के गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के लिए सोसायटी के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर दृढ़ता से भरोसा किया है, जहां बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों को बरकरार रखा गया है। विवादित संशोधनों के आधार पर, अनुच्छेद 15 और 16 में नए खंड जोड़कर संविधान में संशोधन किया गया है, जो राज्य को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% की सीमा तक सकारात्मक कार्रवाई के माध्यम से आरक्षण देने का अधिकार देता है। याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि ये संशोधन संवैधानिक योजना के विपरीत हैं, और उपलब्ध सीटों/पदों का कोई भी खंड केवल आर्थिक मानदंड के आधार पर आरक्षित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, हमारा विचार है कि ऐसे प्रश्न पांच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा विचार किए जाने वाले कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। संविधान के अनुच्छेद 145(3) और सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 के आदेश XXXVIII नियम 1(1) की भाषा से यह स्पष्ट है कि जिन मामलों में संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या के संबंध में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं, उनका होना आवश्यक है । पांच जजों की बेंच ने सुनवाई की. क्या विवादित संशोधन अधिनियम, का उल्लंघन करता है, संविधान के समानता प्रावधानों के संदर्भ में 'चौड़ाई' और 'पहचान' के परीक्षणों को लागू करके, संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है, यह एक ऐसा मामला है जो पर्याप्त है ऊपर उल्लिखित प्रावधानों के अर्थ में कानून का प्रश्न। इसके अलावा, सकारात्मक कार्रवाई के लिए 50%

की सीमा की दलील पर, यह प्रतिवादी-भारत संघ का मामला है कि हालांकि आमतौर पर 50% नियम है, लेकिन यह मौजूदा विशेष परिस्थितियों को देखते हुए संविधान में संशोधन करने से नहीं रोकेगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के समाज के सदस्यों का उत्थान करना। यहां तक कि ऐसे प्रश्न भी कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनकी जांच संविधान के अनुच्छेद 145(3) के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ऑफ रूल्स, 2013 के आदेश XXXVIII नियम 1(1) के अनुसार पांच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जानी है।

टीपी(सी)नंबर 341; 2019 का 323; 2019 का 357 का 2019;

539; 2019 का 630; और 2019 का 675 का 2019

17. ये स्थानांतरण याचिकाएं भारत के संविधान के अनुच्छेद 139 ए (1) के तहत सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 के आदेश एक्सएलआई नियम 1 से 5 के साथ पढ़ी जाने वाली रिट याचिकाओं के हस्तांतरण की मांग के तहत भारत संघ द्वारा और/या उसकी ओर से दायर की जाती हैं। विभिन्न उच्च न्यायालयों से लेकर इस न्यायालय तक। इसी प्रश्न से संबंधित रिट याचिका, यानी संविधान (एक सौ तीसरा संशोधन) अधिनियम , 2019 की वैधता को चुनौती, इस न्यायालय के समक्ष ' जनहित अभियान बनाम' शीर्षक से दायर की गई है। भारत संघ एवं अन्य ।' और यह न्यायालय, दिनांक 25.01.2019 के आदेश द्वारा, ऐसी रिट याचिका में पहले ही नोटिस जारी कर चुका है। विद्वान अटॉर्नी जनरल द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि एक ही संशोधन का विषय है, इसलिए विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित रिट याचिकाओं में चुनौती दी जाए और विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा परस्पर विरोधी निष्कर्षों से बचा जाए। रिट याचिकाओं को इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है। चूँकि यह न्यायालय पहले ही एक रिट याचिका में नोटिस जारी कर चुका है जिसमें इस न्यायालय के समक्ष उसी संशोधन अधिनियम की वैधता पर सवाल उठाया गया है, हम इसे उचित मानते हैं कि ये स्थानांतरण याचिकाएँ अनुमति देने के लिए उपयुक्त हैं। तदनुसार, स्थानांतरण याचिकाओं की अनुमति दी जाती है और WP(C)|No.1475/2019 का शीर्षक ' आरएस भारती बनाम भारत संघ ' है; WP(C)No.2099/2019 का शीर्षक 'देसिया मक्कल

शक्ति काची बनाम प्रधान सचिव और अन्य'; WP(C)No.1629/2019 का शीर्षक 'काली पूंगुंद्रन बनाम भारत संघ और अन्य' है; WPNo.3209/2019 का शीर्षक 'एएसए उमर फारूक बनाम भारत संघ और अन्य' है। मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित; WP(C)No.884/2019 का शीर्षक 'तेलंगाना राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ एवं अन्य' है। बनाम भारत संघ एवं अन्य ।' तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित; और CWPNo.3220/2019 का शीर्षक 'राकेश धुंधाड़ा बनाम भारत संघ और अन्य' है। चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों को 2019 के WP(C)No.55 आदि के साथ सूचीबद्ध करने के लिए इस न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया है। रजिस्ट्री संबंधित उच्च न्यायालयों से रिकॉर्ड प्रसारित करने का अनुरोध करके आवश्यक कदम उठाएगी। उपर्युक्त रिट याचिकाओं में से।

<u>सभी मामले</u>

18. उपरोक्त कारणों से, हम स्थानांतरण याचिकाओं को अनुमति देते हैं और स्थानांतरण आवेदनों में शामिल मामलों सहित मामलों के इस बैच को पांच न्यायाधीशों की पीठ को सौंपते हैं। रजिस्ट्री इस संबंध में उचित आदेश प्राप्त करने के लिए मामले को माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखेगी।

..... मुख्य न्यायाधीश।
[एसए बोबडे]
.....जे.[आर। सुभाष रेड्डी]
.....जे. [बीआर गवई]

नई दिल्ली।
05 अगस्त 2020.

Submitted by
देव्रथ सिंह, डिप्टी डायरेक्टर], मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी